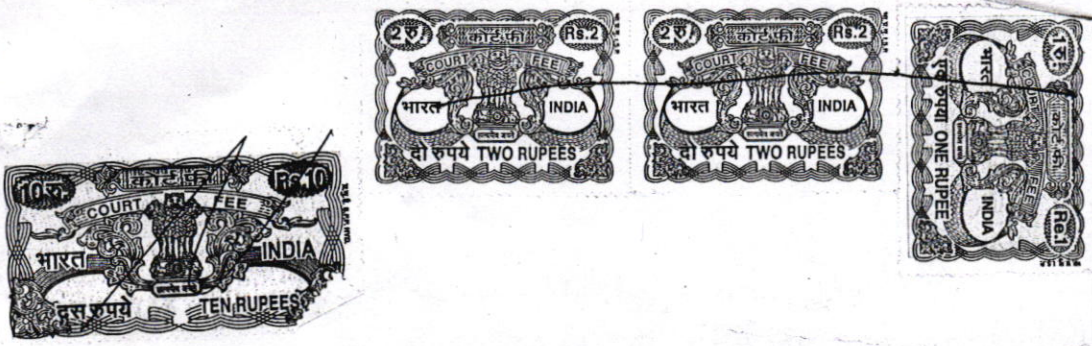

276

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १२०१२- निगरानी

R 1812-I/12

शिव प्रताप शर्मा उर्फ श्यो प्रसाद पुत्र स्व०श्री
मिठ्ठू लाल शर्मा, निवासी वार्ड नं० १४,
त्यागी चौकअम्बाह, जिला मुरैना (म०प्र०) ।

-------- प्रार्थी

बिरुध्द

१- महेश चन्द्र शर्मा पुत्र तुलाराम शर्मा,
निवासी डाक्टर कालौनी, वार्ड नम्बर १२,
अम्बाह, जिला मुरैना ।

२- नवनीत त्यागी पुत्र वासुदेव शर्मा,
निवासी वार्ड नं० १४ त्यागी चौक, अम्बाह,
जिला मुरैना (म०प्र०) ।

३- वासुदेव पुत्र चन्दन सिंह, निवासी वार्ड नं० १४
गांधी मार्ग, अम्बाह, मुरैना(म०प्र०) ।

४- रामप्रकाश त्यागी पुत्र स्व० श्री अमरसिंह त्यागी
निवासी वार्ड नं० १४, त्यागी चौक, अम्बाह,
जिला मुरैना-म०प्र० ।

५- जगदीश त्यागी पुत्र स्व० श्री अमर सिंह त्यागी,
निवासी वार्ड नं० १४, त्यागी चौक, अम्बाह,
जिला मुरैना-म०प्र० ।

६- श्रीमती प्रेमाबाई पत्नी स्व० श्री रामबाबू
त्यागी, निवासी वार्ड नम्बर-१४, त्यागी चौक,
अम्बाह, जिला मुरैना-म०प्र० ।

७- श्रीमती मीना त्यागी पत्नी स्व० श्री रामबाबू
त्यागी, निवासी ३०।बी गोविन्द पुरी,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर -म०प्र० ।

८- श्रीमती आनन्दी बाई पुत्री स्व० श्री सूबालाल

K. D. Dixit
Advocate
2/6/2012

क्रमश:--२

R. 1812-I/12 (पुराना)

पत्नी स्व० श्री पूजाराम त्यागी, निवासी उदयपुरा
खालसा पी० मदरोली, तेहसील बाह जिला आगरा (उ० प्र०)
----- प्रतिप्रार्थीगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1812–एक/2012 जिला–मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-9-16	1/ प्रकरण प्रस्तुत । 2/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 3 कि ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 2 कि ओर से अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित। शेष गैरनिगरानीकर्ता की पूर्व से एक पक्षीय। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क समक्ष में सुने गये तथा प्रकरण एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया । 3/ निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत न्यायालय तहसीलदार, तहसील–अम्बाह, जिला–मुरैना के प्रकरण क्रमांक 36/2011–12/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 4/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम अम्बाह की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1802/2 रकबा 0.763 है0 में से 1/2 भाग यानी 0.381 है0 भूमि का रजिस्टर्ड जरिये विक्रय–पत्र कराया है । विक्रेता वासुदेव के बजाय अनावेदक क्र0 1 महेश चन्द्र पुत्र तुलाराम एवं नवनीव पुत्र वासुदेव के नाम बहैसियत भूमिस्वामी नामांतरण कर अमल करने हेतु तहसीलदार अम्बाह, जिला–मुरैना के समक्ष अनावेदक महेश चन्द्र	

शर्मा द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर आवेदक की ओर से आपत्ति पेश की गई, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में मूल दस्तावेज पेश न होने के कारण आपत्तिकर्ता की आपत्ति का निरकारण नहीं किया गया तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 04.05.12 को आदेश पारित कर अपने आदेश में यह उल्लेख किया की, आपत्ति आवेदन पत्र का निराकरण प्रकरण के अंतिम आदेश के साथ किया जावेगा। इसी आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

5/ निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी का मुख्य आधार यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता ने भू–राजस्व संहिता की धारा 110(3) व (4) तथा नियम 27 का पालन न होने संबंधी आपत्ति की है । इस प्रावधानों का पालन कनूनन मेन्डेटरी तथा आपत्तियों से क्षेत्रधिकार भी प्रभावित होता है, किन्तु तहसीलदार ने आदेश पत्रिका दिनांक 04.05.12 में आपत्ति एवं आवेदन पत्रों का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के साथ किये जाने का आदेश दिया है जो त्रुटिपूर्ण होने है । वैधानिक एवं क्षेत्रधिकार तथा प्रक्रिया संबंधी आपत्तियों का निराकरण सर्वप्रथम किया जाना चाहिये । प्रकरण में न तो विधिवत जांच ही की जा रही और न ही निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर ही दिया गया है । जब विवादित भूमि के स्वत्व के संबंध में माननीय दीवानी न्यायालय में प्रकरण लम्बित है तक राजस्व न्यायालयों को नामांतरण की कार्यवाही रोक देना चाहिये । इस संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों के अभिनिर्धारणों पर विचार किये बिना की

जा रही कार्यवाही अवैधानिक है । तर्क में यह भी बताया कि जब अवैध कॉलोनी के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरण निराकरण अधिनियम के आधीन प्रकरण एस0डी0ओर0 के समक्ष लम्बित है तब नामांतरण की कार्यवाही की जाना उचित नहीं है । प्रकरण में मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस सम्बध में निगरानीकर्ता की आपत्ति को अनदेखा करने से विवादित कार्यवाही निरस्ती योग्य है । परिणमतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में अभी मूल दस्तावेज पेश न होने से आपत्ति के आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में आपत्तिकर्ता के आवेदन पत्रों का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के साथ किये जाने का उल्लेख किया है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश उचित है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण तभी सम्भव है जब मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे ।

7/ अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, अम्बाह का आदेश दिनांक 04.05.2012 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

8/ आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे । प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दाखिल अभिलेखागार हो।

सदस्य